रिपोर्ट का सारांश

सीबीएफसी पर एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों के प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) संबंधी दिशानिर्देशों का सुझाव देने हेतु गठित एक्सपर्ट कमिटी (चेयरः श्याम बेनेगल) ने अप्रैल, 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी का गठन 1 जनवरी, 2016 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। कमिटी के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सीबीएफसी द्वारा प्रमाणन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन, (ii) सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 के तहत फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव देना, और (iii) अधिक प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना के संबंध में सलाह देना।

- सीबीएफसी की भूमिकाः कमिटी ने पाया कि फिल्म पर निर्देशक का पूरा अधिकार होता है। फिल्म में संशोधन या बदलाव निर्देशक द्वारा या उसकी सहमति से किया जा सकता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सीबीएफसी द्वारा परिवर्तन और संशोधन की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बोर्ड को सिर्फ प्रमाणन निकाय की तरह काम करना चाहिए।

- 1991 के दिशानिर्देशों में परिवर्तनः सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 की धारा 5 ख के तहत 1991 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। धारा 5 ख कहती है कि किसी फिल्म को प्रमाणित नहीं किया जाएगा, अगर उसका कुछ हिस्सा या पूरी फिल्म देश की संप्रभुता और अखंडता, शिष्टता या नैतिकता इत्यादि के खिलाफ हो। कमिटी कहती है कि इन दिशानिर्देशों के कुछ उद्देश्य, जैसे फिल्म का सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होना, साफ-सुथरा और स्वस्थ मनोरंजन देना, सीबीएफसी के दायरे में नहीं आते।

- इस संबंध में कमिटी ने नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है। दिशानिर्देशों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) वस्तुनिष्ठ (ऑबजेक्टिव) मानदंडों के जरिये फिल्मकारों की कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, (ii) दर्शकों में सूझ-बूझ भरा फैसला करने की पर्याप्त क्षमता है, (iii) प्रमाणन की प्रक्रिया सामाजिक बदलावों के प्रति जवाबदेह होती है। दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि आवेदक को अपने आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहिएः (i) वह किस श्रेणी का प्रमाणन चाहता है, और (ii) लक्षित दर्शक वर्ग। इसके अतिरिक्त फिल्म में कोई भी कट आवेदक द्वारा किया जा सकता है, जोकि प्रमाणन की उस श्रेणी पर निर्भर करेगा जो वह अपनी फिल्म के लिए चाहता है।

- प्रमाणन की मौजूदा श्रेणियों में उप श्रेणियां : कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि यूए (UA) (फिल्में जिनमें ऐसे दृश्य हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उचित नहीं हैं) और ए (A) (केवल वयस्क दर्शकों के लिए) को उप श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। यूए श्रेणी को दो और उप श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए : यूए 12+ (UA 12+) और यूए 15+ (UA 15+)। यूए 12+ वाली फिल्में उन छोटे किशोरों के लिए उपयुक्त होंगी जिनका अभी वयस्कों की दुनिया से सामना नहीं हुआ है, जबकि यूए 15+ उन किशोरों के लिए उपयुक्त होंगी जिनका वयस्कों की दुनिया से सामना हो चुका है, लेकिन संयत प्रकार से। ए (A) श्रेणी में ए-सी (A-C) (केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त, चेतावनी सहित) नाम की श्रेणी को शामिल किया जाना चाहिए, खास तौर से उन फिल्मों के लिए जिनमें सुस्पष्ट सामग्री हो, जैसे नग्नता, हिंसा इत्यादि। इन श्रेणियों से लोगों को विशिष्ट विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

- प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशः कमिटी ने प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों को प्रस्तावित किया है जो निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं : (i) सामान्य, (ii) मुद्दा आधारित, और (iii) श्रेणी विशिष्ट। सामान्य दिशानिर्देश प्रमाणन के दौरान फिल्म के सामान्य कारकों जैसे सामग्री, विषयवस्तु इत्यादि से संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। मुद्दा आधारित दिशानिर्देश समाज के मुद्दों को सूचीबद्ध करते हैं जोकि प्रमाणन की सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं। श्रेणी

रूपल सुहाग
roopal@prsindia.org

30 जून, 2016

विशिष्ट दिशानिर्देश उस दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं जोकि सीबीएफसी को फिल्म प्रमाणन की विभिन्न श्रेणियों में अपनाना चाहिए।

- सीबीएफसी के कार्यः कमिटी ने सुझाव दिया कि सीबीएफसी को स्वयं को निम्नलिखित तक सीमित रखना चाहिएः (i) केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का विश्लेषणात्मक अध्ययन हो और जिसे हर वर्ष संसद के पटल पर रखा जाता है, (ii) बोर्ड के रिकॉर्ड और एकाउंट्स के रखरखाव के तरीके को निर्धारित करना, (iii) क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय तथा केंद्रीय सलाहकार पैनल के कार्यों की समीक्षा करना, और (iv) फिल्मों के प्रमाणन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा करना, इत्यादि।
- सीबीएफसी का संगठनात्मक पैटर्नः आवेदकों और सीबीएफसी के अधिकारियों के बीच मानवीय संपर्क कम से कम हो (ताकि पक्षपात को दूर किया जा सके), इसके लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि आवेदन की प्रक्रिया और एग्जामिनिंग कमिटी (जोकि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बैठेगी और उस पर विमर्श करेगी) और रिवाइजिंग कमिटी (जोकि अपील के फर्स्ट प्वाइंट के रूप में कार्य करेगी) के लिए सदस्यों का चयन कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर से किया जाना चाहिए।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।